न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत माधोराजपुरा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 184/2013

रज्जु दिनांकः 21/11/2013

निर्णय दिनांक : 16/05 /2017

1. अंजली पुत्री ओमप्रकाश आयु 10 वर्ष जाति महाजन,

2. प्राची पुत्री ओमप्रकाश आयु 12 वर्ष जाति महाजन,

3. मनाली पुत्री ओमप्रकाश आयु 14 वर्ष जाति महाजन,

नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती ललिता गुप्ता पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति महान आयु 35 वर्ष निवासीः माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. गणेशनारायण

2. कैलाश चन्द पुत्र स्व. गणेशनारायण

3. सरजू देवी पत्नि स्व. गणेशनारायण

4. ललिता पुत्री स्व. गणेशनारायण

5. मंजू पुत्री स्व. गणेशनारायण

6. प्रेम पुत्री स्व. गणेशनारायण

7. अंजना पुत्री स्व. गणेशनारायण

जाति महाजन निवासीः माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

8. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

9. सब रजिस्ट्रार माधोराजपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमे वर्णित तथ्यो पर सफलता की पूरी—पूरी आशा है। विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 62 खसरा नंबर 1184/2, 1186/1, 1187, 3051/1186 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 60 खसरा नंबर 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसमें गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल के दर्ज हिस्से में से प्रार्थीगण 3/28 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी हिन्दू परिवार की पैतृक एवं शामलात की आराजी है। प्रार्थीगण मृतक गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल का जायन्दा पुत्र ओमप्रकाश की पुत्रियां है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 उसके पुत्र व अप्रार्थीगण संख्या 3 उसकी विधवा पत्नि एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 उसकी पुत्रियां है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कानूनन जन्मजात हक व हिस्सा है। आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के दादा गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की मृत्यु दिनांक 29.06.2013 को हो चुकी है। गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की मृत्यु पर उसकी विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थीगण अकेले स्वयं के नाम खुलवाना चाहते है जो गलत है। वास्तव में पौत्रियां होने के नाते गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम खुलना चाहिये। मृतक गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि का गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की मृत्यु पर उसके सभी वारिसान के नाम बराबर—बराबर भूमि का नामान्तकरण खुलना चाहिये परन्तु गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की फौती पर उसकी संपूर्ण आराजी का नामान्तकरण अकेले अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संख्या 1 लगायत 7 खुलवाने पर आमादा है। गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की मृत्यु के पूर्व ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने आराजी को मनबट के आधार पर बांट लिया था तब से लेकर आज तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 संपूर्ण आराजी में अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अभी हाल ही में दिनांक 06–11–2013 को जब प्रार्थीगण अपनी हिस्से की आराजी को अपने संरक्षक के जरिये संभाल रहे थे तो अप्रार्थीगण कुछ अन्य अजनबी लोगो को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आये एवं आराजी से प्रार्थीगण को उसके हिस्से के बेदखल करने की धमकी दी जब प्रार्थीगण ने आराजी स्वयं के होने की बात कही तो उसने धमकी दी कि आराजी का शीघ्र ही हम हमारे केवल हमारे नाम नामान्तकरण खुलवाकर शीघ्र ही बेचान करेगे। प्रार्थीगण मृतक गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल के जाईन्दा पौत्रियां है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थीगण मृतक गणेशनारायण पुत्र गोपीलाल की आराजी में प्रार्थीगण का कूननन जन्मजात हक एवं हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा हस्तक्षेप करने से रूकवाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ जिसका प्रार्थीगण कूननन अधिकारी है। प्रार्थीगण नाबालिग है जिनके भरण पोषण का एकमात्र साधन आराजी ही है यदि अप्रार्थीगण ने अकेले स्वयं के नाम फौती नामान्तरकरण खुलवाकर आराजी का बेचान कर दिया या किसी अन्य विधि से हस्तांतरित कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं उसके विधिक अधिकारो का हनन होगा एवं परिवार में अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इसलिये भी वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी में हक एवं हिस्सा है। प्रथमदृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में सुदृढ है। प्रार्थीगण जरिये संरक्षक अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से मनबट के आधार पर बांटकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ताफैसला वाद विवादग्रस्त आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न स्वयं करे व न अन्य से करावे तथा विवादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन आदि न करे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दिनांक 21.11.2013 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थीगण को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 1184/2, 1186/1, 1187, 3051/1186 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194 कुल किता 6 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद नोटिस तामील अनु0। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, दावा पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1184/2, 1186/1, 1187, 3051/1186 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है, पक्षकारान को विधिवत् नोटिस तामील हो चुके है बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

कार्यवाही की जा चुकी है। न्यायालय के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 1184/2, 1186/1, 1187, 3051/1186 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194 कुल किता 6 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट माधोराजपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)